रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938
No. 257] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/ SRAVANA 14 , 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2016

सं. 38/37/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (ए).—वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) संकल्प सं. 1/1/2013-ई.III (ए) दिनांक 28.02.2014 में निहित सातवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

> "उन सिद्धांतों की जांच करना जिनसे पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना शासित होनी चाहिए, और इसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ 'नई पेंशन योजना' के दायरे में आते हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन भी शामिल है जो इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे।"

2. आयोग ने दिनांक 28.02.2014 के उल्लिखित संकल्प में निहित विचारार्थ विषय पर अपनी रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ दिनांक 19 नवंबर, 2015 को प्रस्तुत की। सरकार ने विचार करने के बाद, कुछ संशोधनों के अध्यधीन केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों सहित केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों पर आयोग की सिफारिशों को इसके आगे निर्दिष्ट रूप में स्वीकार कर लिया है।

3. पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित आयोग की विस्तृत सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को इस संकल्प में अनुलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया गया है।

4. पेंशन संबंधी लाभों के संबंध में संशोधित प्रावधान,जो अनुलग्नक में दर्शाए गए अनुसार स्वीकृत कर लिए गए हैं, 01.01.2016 से प्रभावी हो जाएंगे।

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण :

मद सं.	सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	**नियत चिकित्सा भत्ता** आयोग ने नोट किया कि इस भत्ते को दिनांक 19.11.2014 से 300/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500/- रुपए प्रतिमाह किया गया था । इस प्रकार, इस भत्ते में और अधिक बढ़ोत्तरी की सिफारिश नहीं की जाती । (रिपोर्ट का पैरा 8.17.52)	अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव और सचिव (व्यय) और सदस्य के रूप में गृह मंत्रालय, रक्षा, डाक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कार्मिक और प्रशिक्षण के सचिवों तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से बनी समिति द्वारा जांच की जाएगी । जब तक समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, नियत चिकित्सा भत्ते की भुगतान मौजूदा दरों पर ही किया जाएगा ।
2.	**नियत परिचर भत्ता** इस भत्ते में 1.5 गुणा वृद्धि की जा सकती है अर्थात् इसे प्रति माह 6750/- रुपए किया जा सकता है । जब भी महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होती है, इस भत्ते में भी 25% की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है । (रिपोर्ट का पैरा 8.17.29)	अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव और सचिव (व्यय) और सदस्य के रूप में गृह मंत्रालय, रक्षा, डाक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कार्मिक और प्रशिक्षण के सचिवों तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से बनी समिति द्वारा जांच की जाएगी । जब तक समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, सतत परिचर भत्ते की भुगतान मौजूदा दरों पर ही किया जाएगा ।
3.	**सामान्य भविष्य निधि** इस संबंध में यथास्थिति को बनाए रखा जा सकता है। (रिपोर्ट का पैरा 9.4.4)	स्वीकृत
4.	**पेंशन और कुटुब पेंशन की दरें** आयोग पेंशन और कुटुंब पेंशन की दर में मौजूदा स्तरों से आगे किसी वृद्धि की सिफारिश नहीं करता। (रिपोर्ट का पैरा 10.1.25)	स्वीकृत
5.	**न्यूनतम पेंशन की मात्रा** कार्मिक के वेतन के संबंध में आयोग की सिफारिश के कारण मौजूदा न्यूनतम 7,000 रुपए प्रतिमाह से 18,000 रुपए प्रतिमाह की उल्लेखनीय वृद्धि होगी । यह, पेंशन की गणना के आधार पर, मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 3500 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर देगी । आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम पेंशन मौजूदा स्तर से 2.57 गुणा अधिक बढ़ जाएगी । (रिपोर्ट का पैरा 10.1.27)	स्वीकृत
6.	**वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन और कुटुंब पेंशन की दर** आयोग का मानना है कि अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मौजूदा दरें उपयुक्त हैं । (रिपोर्ट का पैरा 10.1.30)	स्वीकृत

<table>
<tr><td>7.</td><td><u>बढ़ी हुई कुटुंब पेंशन के लिए समयावधि</u>

आयोग ने नोट किया है कि एक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में 10 साल के लिए बढ़ी हुई कुटुंब पेंशन की पात्रता की अवधि के संबंध में की गई सिफारिशें, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी । आयोग द्वारा आगे किसी और परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जा रही है।

(रिपोर्ट का पैरा 10.1.33)</td><td>स्वीकृत</td></tr>
<tr><td>8.</td><td><u>उपदान की उच्चतम सीमा और इसका सूचीकरण</u>

आयोग ने दिनांक 01.01.2016 से उपदान की अधिकतम सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए करने की सिफारिश की । आयोग ने आगे अनुशंसा की कि महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर उपदान की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि की जाए ।

(रिपोर्ट का पैरा 10.1.37)</td><td>स्वीकृत</td></tr>
<tr><td>9.</td><td><u>मृत्यु उपदान को युक्तिसंगत बनाना</u>

आयोग ने इस मामले की जांच करने के बाद मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए निम्नलिखित दरों की सिफारिश की:
<table><tr><th>सेवा की अवधि</th><th>मृत्यु उपदान की दर</th></tr><tr><td>एक वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा</td></tr><tr><td>एक वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 6 गुणा</td></tr><tr><td>5 वर्ष या अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 12 गुणा</td></tr><tr><td>11 वर्ष या अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 20 गुणा</td></tr><tr><td>20 वर्ष या अधिक</td><td>पूरी की गई प्रत्येक 6 माह की अर्हक सेवा की परिलब्धियों के लिए आधे माह की परिलब्धियां जो अधिकतम 33 गुणा परिलब्धियों के अधीन है।</td></tr></table>(रिपोर्ट का पैरा 10.1.41)</td><td>स्वीकृत</td></tr>
<tr><td>10</td><td><u>पेंशन का संराशीकरण और संराशीकृत पेंशन की बहाली</u>

आयोग न तो संराशीकरण के अधिकतम प्रतिशत और न ही बहाली की अवधि में किसी भी प्रकार के बदलाव की सिफारिश करता है ।

(रिपोर्ट का पैरा 10.1.43)</td><td>स्वीकृत</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>11</td>
<td><u>7वें केंद्रीय वेतन आयोग से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में संशोधन</u>
आयोग 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं सीएपीएफ कर्मियों सहित सिविल कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित पेंशन तैयार करने की सिफारिश करता है
(i) सीएपीएफ सहित सभी सिविल कार्मिकों, जो 01.01.2016 (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अनुमानित तिथि) से पहले सेवानिवृत्त हो गए, को उस वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे, के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के उसी न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। इस राशि को सेवानिवृत्त व्यक्ति की अर्जित वेतनवृद्धि की संख्या को तीन प्रतिशत की दर पर जोड़कर नोशनल वेतन पर पहुंचने के लिए बढ़ाया जाएगा । इस प्रकार तैयार की गई कुल राशि का पचास प्रतिशत संशोधित पेंशन होगी।
(ii) की जाने वाली दूसरी गणना इस प्रकार है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय निर्धारित पेंशन को संशोधित पेंशन के लिए एक वैकल्पिक मूल्य पर पहुंचाने के लिए 2.57 से गुणा किया जाएगा ।
(iii) पेंशनभोगियों को किसी भी सूत्रीकरण को चुनने का विकल्प दिया जाएगा जो उनके लिए फायदेमंद है।
यह पाया गया है कि ऊपर (i) में सूत्रीकरण के अनुसार पेंशन के निर्धारण में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि प्रत्येक पेंशनभोगी के वेतनवृद्धि की संख्या का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड की जांच करनी होगी । इसलिए यह सिफारिश जाती है कि पहले दृष्टांत में, संशोधित पेंशन की गणना ऊपर (ii) के अनुसार की जाए और अंतरिम उपाय के रूप में इसी का भुगतान किया जाए । ऊपर (i) के अनुसार गणना किए जाने पर राशि में अधिक प्राप्त होने की स्थिति में अंतर का भुगतान बाद में किया जा सकता है।
(रिपोर्ट का पैरा 10.1.67 एवं पैरा 10.1.68)</td>
<td>पेंशन संशोधन के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित दोनों विकल्पों को इसके क्रियान्वयन की व्यवहार्यता के अधीन स्वीकार किया जाता है । 2.57 के निर्धारण कारक के आधार पर दूसरे विकल्प का उपयोग करके पेंशन के संशोधन को तुरंत लागू किया जाएगा । पहले विकल्प को यदि अध्यक्ष के रूप में सचिव (पेंशन) और सदस्यों के रूप में रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ), डाक विभाग के सदस्य (स्टाफ), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक सदस्य वाली समिति द्वारा जांच करने के बाद कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य पाया जाता है तो इसे लागू किया जा सकता है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td><u>अनुग्रह-राशि एकमुश्त मुआवजा</u>
आयोग सिविल और रक्षा बलों के कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की सिफारिश करता है जो उनके परिजनों के लिए निम्नलिखित दरों पर देय होगी:
<table>
<tr><th>परिस्थितियाँ</th><th>विद्यमान</th><th>प्रस्तावित</th></tr>
<tr><td>कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्घटनावश मृत्यु होने पर</td><td>10 लाख</td><td>25 लाख</td></tr>
<tr><td>दायित्व का निर्वहन करते हुए आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के हिंसक कृत्यों के कारण दुर्घटनावश मृत्यु होने पर</td><td>10 लाख</td><td>25 लाख</td></tr>
<tr><td>सीमा झड़पों और उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मृत्यु</td><td>15 लाख</td><td>35 लाख</td></tr>
<tr><td>विनिर्दिष्ट ऊँचाई वाले क्षेत्रों, दुर्गम सीमा चौकियों आदि में ड्यूटी पर तैनाती के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसमी परिस्थितियों के कारण मृत्यु होने पर</td><td>15 लाख</td><td>35 लाख</td></tr>
<tr><td>विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित युद्ध में दुश्मन कार्रवाई के दौरान या इस तरह के युद्ध में संलग्नता के कारण होने वाली मृत्यु और विदेश में युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान होने वाली मृत्यु ।</td><td>20 लाख</td><td>45 लाख</td></tr>
</table>
(पैरा 10.2.77)</td>
<td>स्वीकृत</td>
</tr>
</table>

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th August, 2016

No. 38/37/2016-P&PW (A) .—The Terms of Reference of the Seventh Central Pay Commission as contained in Ministry of Finance (Department of Expenditure) Resolution No.1/1/2013-E.III (A) dated 28.2.2014 included the following:

> "To examine the principles which should govern the structure of pension and other retirement benefits, including revision of pension in the case of employees who have retired prior to the date of effect of these recommendations, keeping in view that retirement benefits of all Central Government employees appointed on and after 01.01.2004 are covered by the New Pension Scheme (NPS)."

2. The Commission, on 19th November, 2015, submitted its report to the Government on Terms of Reference as contained in aforementioned Resolution dated 28.02.2014. Government, after consideration, has decided to accept the recommendations of the Commission on pensionary benefits to the Central Government civil employees, including employees of the Union Territories and Members of All India Services subject to certain modifications, as specified hereinafter. .

3. Detailed recommendations of the Commission relating to pensionary benefits and the decisions taken thereon by the Government are listed in the statement annexed to this Resolution.

4. The revised provisions regarding pensionary benefits, which have been accepted as indicated in the Annexure, will be effective from 01.01.2016.

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

ANNEXURE

Statement showing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to principles which should govern the structure of pension and other terminal benefits and the decisions of the Government thereon.

Item No.	Recommendation	Decision of Government
1.	**Fixed Medical Allowances** The Commission notes that this allowance was enhanced from Rs.300/- p.m. to Rs.500/- p.m. from 19.11.2014. As such, further enhancement of this allowance is not recommended. (Para 8.17.52 of the Report)	To be examined by a Committee comprising Finance Secretary and Secretary (Expenditure) as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Posts, Health & Family Welfare, Personnel & Training and Chairman, Railway Board as Members. Till a final decision is taken based on the recommendations of the Committee, Fixed Medical Allowance shall be paid at existing rates.
2.	**Constant Attendance Allowance** The allowance may be increased by a factor of 1.5 i.e. to Rs. 6750/- per month. The allowance needs further increase by 25% each time DA rises by 50% . (Para 8.17.29 of the Report)	To be examined by a Committee comprising Finance Secretary and Secretary (Expenditure) as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Posts, Health & Family Welfare, Personnel & Training and Chairman, Railway Board as Members. Till a final decision is taken based on the recommendations of the Committee, Constant Attendant Allowance shall be paid at existing rates.

<table>
<tr><td>3.</td><td><u>General Provident Fund</u>
Status quo may be maintained in this respect.

(Para 9.4.4 of the Report)</td><td>Accepted</td></tr>
<tr><td>4.</td><td><u>Rates of Pension & Family Pension</u>
The Commission does not recommend any further increase in the rate of Pension and Family Pension from the existing levels.

(Para 10.1.25 of the Report)</td><td>Accepted</td></tr>
<tr><td>5.</td><td><u>Quantum of Minimum Pension</u>
The recommendations of the Commission in relation to pay of a personnel will lead to a significant increase in the minimum from the existing Rs. 7,000 per month to Rs.18,000 per month. This, based on computation of pension, will raise minimum pension from the existing Rs. 3500 to Rs. 9,000. The minimum pension based on the recommendations of the Commission will increase by 2.57 times over the existing level.

(Para 10.1.27 of the Report)</td><td>Accepted</td></tr>
<tr><td>6.</td><td><u>Rate of Additional Pension and Family Pension to the older pensioners</u>
The Commission is of the view that the existing rates of additional pension and additional family pension are appropriate.

(Para 10.1.30 of the Report)</td><td>Accepted</td></tr>
<tr><td>7.</td><td><u>Time Period for enhanced family pension</u>
The Commission notes that the recommendation with regard to period of eligibility of the enhanced family pension of 10 years in case of death of a serving employee was made based on the recommendations of VIth CPC Report. No further change is being recommended by the Commission.

(Para 10.1.33 of the Report)</td><td>Accepted</td></tr>
<tr><td>8.</td><td><u>Gratuity ceiling and its indexation</u>
The Commission recommends enhancement in the ceiling of gratuity from the existing Rs.10 lakh to Rs.20 lakh from 01.01.2016. The Commission further recommends the ceiling on gratuity may increase by 25% whenever DA rises by 50%.

(Para 10.1.37 of the Report)</td><td>Accepted</td></tr>
<tr><td>9.</td><td><u>Rationalization of death gratuity</u>
<u>The Commission, after examination of the matter, recommends the following rates for payment of death gratuity:</u>
<table>
<tr><td>Length of Service</td><td>Rate of Death Gratuity</td></tr>
<tr><td>Less than One year</td><td>2 times of monthly emoluments</td></tr>
<tr><td>One Year or more but less than 5 years</td><td>6 times of monthly emoluments</td></tr>
<tr><td>5 years or more but less than 11 years</td><td>12 times of monthly emoluments</td></tr>
<tr><td>11 years or more but less than 20 years</td><td>20 times of monthly emoluments</td></tr>
<tr><td>20 years or more</td><td>Half month of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments.</td></tr>
</table>
<u>Para 10.1.41 of the Report)</u></td><td>Accepted</td></tr>
<tr><td>10.</td><td><u>Commutation of Pension and restoration of commuted pension</u>

<u>The Commission does not recommend any change either in the maximum percentage of commutation or in the period of restoration.</u></td><td>Accepted</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(Para 10.1.43 of the Report)</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td><u>Revision of Pension of pre 7th CPC retirees</u>
<u>The Commission recommends the following pension formulation for civil employees including CAPF personnel who have retired before 01.01.2016</u>

<u>(i) All the Civilian personnel including CAPF who retired prior to 01.01.2016 (expected date of implementation of the Seventh CPC recommendations) shall first be fixed in the Pay Matrix being recommended by this Commission, on the basis of the Pay Band and Grade Pay at which they retired, at the minimum of the corresponding level in the matrix. This amount shall be raised, to arrive at the notional pay of the retiree, by adding the number of increments he / she had earned in that level while in service, at the rate of three percent. Fifty percent of the total amount so arrived at shall be the revised pension.</u>

<u>(ii) The second calculation to be carried out is as follows. The pension, as had been fixed at the time of implementation of the VI CPC recommendations, shall be multiplied by 2.57 to arrive at an alternate value for the revised pension.</u>

<u>(iii) Pensioners may be given the option of choosing whichever formulation is beneficial to them.</u>
<u>It is recognized that the fixation of pension as per formulation in (i) above may take a little time since the records of each pensioner will have to be checked to ascertain the number of increments earned in the retiring level. It is therefore recommended that in the first instance the revised pension may be calculated as at (ii) above and the same may, be paid as an interim measure. In the event calculation as per (i) above yields a higher amount the difference may be paid subsequently.</u>
<u>(Para 10.1.67 and Para 10.1.68 of the Report)</u></td><td>Both the options recommended by the 7th Central Pay Commission as regards pension revision be accepted subject to feasibility of the implementation. Revision of pension using the second option based on fitment factor of 2.57 be implemented immediately. The first option may be made applicable if its implementation is found feasible after examination by the Committee comprising Secretary (Pension) as Chairman and Member (Staff). Railway Board, Member (Staff), Department of Posts, Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Home Affairs and Controller General of Accounts as Members</td></tr>
<tr><td>12.</td><td><u>Ex-gratia Lumpsum Compensation</u>

<u>The commission recommends a Common regime for payment of ex-gratia lump-sum compensation for civil and defence forces personnel, payable to the next of Kin at the following rates:</u>

<table>
<tr><th>Circumstances</th><th>Existing</th><th>Proposed</th></tr>
<tr><td>Death occurring due to accidents in course of performance of duties</td><td>10 lakh</td><td>25 lakh</td></tr>
<tr><td>Death in the course of performance of duties attributed to acts of violence by terrorists, anti social elements etc.</td><td>10 lakh</td><td>25 lakh</td></tr>
<tr><td>Death occurring in border skirmishes and action against militants, terrorists, extremists, sea pirates</td><td>15 lakh</td><td>35 lakh</td></tr>
<tr><td>Death occurring while on duty in the specified high altitude, unaccessible border posts, on account of natural disasters, extreme weather conditions</td><td>15 lakh</td><td>35 lakh</td></tr>
<tr><td>Death occurring during enemy action in war or such war like engagements, which are specifically notified by Ministry of Defence and death occurring during evacuation of Indian Nationals from a war-torn zone in foreign country</td><td>20 lakh</td><td>45 lakh</td></tr>
</table>
<u>(Para 10.2.77)</u></td><td>Accepted</td></tr>
</table>

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.